राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 671/2014

महेश चन्द गोयल

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.09.2014
आदेश की दिनांक : 03.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 06.12.1974 को अध्यापक के पद पर हुई थी। अपीलार्थी द्वारा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी तृतीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 से ग्रेड–पे 4800/– पे बेण्ड–2 का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था, परन्तु नियन्त्रण अधिकारी, बीईईओ, हिण्डोन जिला करौली एवं जिला शिक्षा अधिकारी ने अपीलार्थी की ग्रेड–पे 4800/– पे बैण्ड–2 में वेतन स्थिरीकरण नहीं किया गया, जिसके लिये अपीलार्थी ने पूर्व में प्रत्यर्थी विभाग को लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन किया था।
2. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में अभ्यावेदन दिनांक 02.02.2014 (अनुलग्नक–1) एवं 25.03.2014 (अनुलग्नक–3) प्रस्तुत किया गया था, जिनका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह

सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)